



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय |  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



पत्रांक-SSA/RTE/785

ट्रैकिंग - 27/04/22

सेवा मे

अधिकृत / व्यवस्थापक / प्रबंधक

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड, ०

शिक्षा केंद्र, २ कम्बूनिटी सेटर ०

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 16 के प्रयोगनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्वयित विद्यालय की प्रस्तीकता का प्रमाण पत्र।

महालय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 25-09-2021 और उसके लागे में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय Vedanta Public School, Vedanta Gram, Bahuwarwa-Parsauni, NH727, Lauria Bagaha Rd, West Champaran, Bihar., Bahuwarwa-Parsauni, 845101 कक्ष १ से ८ तक संचालन हेतु दीन वर्ष 25-09-2021 से 25-09-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकता प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रस्तीकता निम्न शब्दों के अनुपालन के अधीन होगी।

१. प्रस्तीकता किसी भी परिस्थिति में कक्षा ८ तक की सीमा के बाइरे मान्य नहीं होगी।
२. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-१) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-२) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिकृत करेंगे।
३. विद्यालय अपनी कक्षा १ में बच्चों के नामांकन की त्रुटि ज्ञातता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने ३ करेगा। पड़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि पहिले विद्यालय में धूर्व प्राधमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन धूर्व प्राधमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
४. कठिका ३ में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा २ के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
५. सोलाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेल फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अधिभावक का स्वीकृति टेस्ट नहीं किया जाएगा।
६. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
७. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिकृत किए जाएंगे :
  - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
  - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक ढड़ नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताक्षित नहीं किया जाएगा।
  - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलान / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
  - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
  - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा १ में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
  - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार तीन शिक्षण गतिविधि में सलग नहीं होगे।

८. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपत्रों का अनुसरण करेगा।

९. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

१०. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अधिम निरीक्षण के सभी उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

- (i) विद्यालय परिसर के कुलफल :- 252.023
- (ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 252.023
- (iii) खेल के मैदान के क्षेत्र :- Football, Kho-Kho, Kabaddi, Badminton, Volleyball, Cricket, Handball etc.
- (iv) दर्दी कक्षों की कुल संख्या :- 10
- (v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भेदार कक्षा :- 2
- (vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 11 , Girls 10
- (vii) पैदल भौजन की सुविधा :- 25
- (viii) मध्याह्न भौजन के लिये रसोई घर :- 1
- (ix) बालारहित पहुँच [ ] :-
- (x) शिक्षण अधिगम सामग्री सेल-कुट उपकरण पुस्तकालय पुस्तकालय :- Copy Attached , Copy Attached , ( Y , 180 , NewsPaper MagaZine:- 4 )

11. कोई भी अपर्याप्त वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा ।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य सरकारी अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्वर्गित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के नहर गठित किसी परिक्षण ट्रस्ट के साथसे से 13 संबंधित होगा ।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संबंधित नहीं होगा ।
15. सेवा का अंकेश्वर एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त सेवा विवरणी रैपोर्ट की जाएगी। प्रत्येक सेवा की एक प्रति प्रतिवर्ष शिक्षा शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या [ 20310192021925130351, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रतावार करने में दुस कोड को अकित एवं उद्धृत किया जाए ।
17. निटेशन, प्राथमिक शिक्षा / यिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "मौग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पुरा करने की सुनिष्ठितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्मित अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।
18. यदि सोसाइटी के निवधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिष्ठित किया जाए ।
19. अनुलग्न III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

वि. श्री संभव जैन  
ठा.  
जिला कार्यक्रमों पदाधिकारी,  
सह-संचिव प्रस्तीकृत समिति  
शिक्षा विभाग, विहार सरकार

